

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:- 94/2023

निर्णय दिनांक :- 15/6/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. सायरा बानो पत्नी शोकत अली जाति मुसलमान निवासी हनुमान नगर कोटा रोड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0

-प्रार्थीया-

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थी


तहसीलदार
देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1807 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीया द्वारा भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके पूर्व के सीमा चिन्ह मिट चुके हैं। इसलिए प्रार्थीया अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि में पत्थरगढी कराना चाहती है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदार जिसके खसरा नम्बर 1809 से सीमा विवाद है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उसको पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।




पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया । तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है । अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074-77 में अंकित खसरा नम्बर 1807 रकबा 0.30 है 0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी
देवली